संख्या–1810 /36–03–12

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उ0 प्र0,कानपुर।

श्रम अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर, 2012

विषयः– **अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के कियान्वयन हेतु औद्योगिक इकाईयों में श्रम कानूनों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रकिया का निर्धारण।**

महोदय,

औद्योगिक विभाग अनुभाग–6 के शासनादेश सं0 सी0एस0 1439, दिनांक 26 अक्टूबर, 1998 में यह प्राविधानित है कि प्रदेश की किसी भी औद्योगिक इकाई का निरीक्षण करने के पूर्व सम्बन्धित अधिकारी/निरीक्षक सम्बन्धित जिला अधिकारी अथवा मण्डलायुक्त से लिखित अनुमोदन प्राप्त करेंगे। जनपद स्तरीय अधिकारी/निरीक्षक यह अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त करेंगे, जबकि क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी/निरीक्षक मण्डलायुक्त से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के प्रस्तर 3.1.1–3 में यह व्यवस्था की गयी है कि ''शिकायत के आधार पर जॉच जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात ही की जायेगी।''

उक्त निवेश नीति के कियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाईयों की शिकायतों के आधार पर जॉच, जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की पूर्व अनुमति से ही की जायेगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

शैलेश कृष्ण

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव

9/10